FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम– 20)

अज अदालत ....सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), ... गुड़ामालानी..........

प्रार्थीगण बनाम	विप्रार्थीगण
1. उदा वल्द नाथा (14) जाति भील निवासी, मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	1. सांवलाराम वल्द जोगा 2. टीपू पत्नी जोगा 3. धनाराम वल्द जोगा कौम भील साकिन मौखावा, ग्राम पंचायत मौखावा खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं उपपंजीयक गुड़ामालानी

किस्म मुकदमा.....धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु0नं0...127/2023.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
17.07.2023	प्रार्थीगण उदा वगैरा की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री चिमनसिंह चौधरी द्वारा विप्रार्थीगण सांवलाराम वगैरा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। जिसे बाद जांच दर्ज रजिस्टर से तलब किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार मण्डल मौखावा के राजस्व ग्राम मौखावा में खेत खसरा नम्बर 1011, 1012/2 रकबा क्रमशः 0.1862, 3.5774 हैक्टेयर की अवस्थित है। जिसमें प्रार्थीगण का 120/160 हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त का है। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के हिस्से खुले हुए है तथा अपने अपने हिस्से अनुसार प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण मौखिक बंटवाडा अनुसार अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त हैं। कानूनी बंटवाडा नहीं होने तथा भूमि संयुक्त खातेदारी में होने के कारण अपने अपने हिस्सों की सीमाओं को लेकर हर समय विवाद बना रहता है। विप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हिस्से की उपजाऊ बनाई गई भूमि पर जबरन कब्जा कर बिना बंटवाडा कराये अजनवी व्यक्तियों को बेचान करने एवं प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि विप्रार्थीगण से अलग करवाकर शेष प्रतिवादीगण से विभाजित करवाने हेतु बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालयश्री में पेश किया है। मूल वाद के निस्तारण में समय लगना सम्भव है, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विरूद्ध विप्रार्थीगण एक तरफा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री चिमनसिंह चौधरी से बहस सुनी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी में प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार हैं, हिस्से खुले हुए हैं तथा भूमि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। चूंकि प्रार्थीगण बकील की बहस अनुसार विप्रार्थीगण बिना बंटवाडा करवाये भूमि को बेचान कर प्रार्थीगण के हक हिस्सा की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में निहित है, प्रार्थीगण विवादित आराजी का रेकर्डेड खातेदार होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आराजी तौर पर स्वीकार किया जाकर आगामी तारीख पेशी तक विप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी तहसील गुड़ामालानी पटवार मण्डल मौखावा के राजस्व ग्राम मौखावा में खेत खसरा नम्बर 1011, 1012/2 रकबा क्रमशः 0.1862, 3.5774 हैक्टेयर भूमि के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे वकील प्रार्थीगण विप्रार्थीगण के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा आज ही प्रेषित कर तीन दिवस में रसीद पेश करें। विप्रार्थीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 01.09.2023 को पेश हो। (रामजी भाई कलबी) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी	प्रतिलिपि : 1. तहसीलदार, गुड़ामालानी 2. प्रार्थीगण/विप्रार्थीगण (रामजी भाई कलबी) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:30:59 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर... जो इ...
पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजकर रसीदें मय ट्रैक रिपोर्ट पेश की। प्रतिवादीगण/विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण सं. 1 ता 4 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। चूंकि विपक्षी सं. 1 ता 3 द्वारा अपना हिस्सा बेचान किये जाने के मूल वाद के क्रेता नारायण को बतौर प्रतिवादी सं. 5 जोड़ा गया है एवं अनुसार वकील वादीगण/वादीगण द्वारा जे.सी. पेश किया है जे.सी. रिकॉर्ड पर लिया जाता है दोनों पक्षों के वकीलों से बहस सुनी। चूंकि मूल वाद में प्रारंभिक डिक्री पारित जारी कर तकाजा तलब किया गया है, अतः विचारण होने तक स्थगन जारी रखा जाना न्यायालय उचित समझती है। अतः एक न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 17.07.2023 मूल वाद के निस्तारण तक पुष्ट (Confirm) की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर मूलवाद के साथ नत्थी हो। (हस्ताक्षर) Signature Not Verifie... Digitally signed by Kesha... Meena Date: 2025.05.23 09:30:5... Reason: SelfAttested	